डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-836 **New Delhi: 31.08.2021**

Sh. Shyam Ji
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your online RTI application dated 09.08.2021 (Registration No. DFCCL/R/E/21/00672) received through DOPT portal.

Information, as obtained from the concerned record holding office, is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 06 sheets

31/8/2021

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-8(14) दिनांक:– 18.08.2021

सेवा में,

महाप्रबन्धक / समन्वय,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषय:– सूचना अधिकार अधिनियम –2005, के अर्न्तगत श्री श्याम जी पुत्र गोविन्द प्रसाद, अम्बेडकर नगर ग्राम–रूरा, तह0- अकबरपुर, जनपद- कानपुर देहात के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–उप महाप्रबन्धक / एण्डमीन (पीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-845 Dated 11.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत् श्री श्याम जी पुत्र गोविन्द प्रसाद, अम्बेडकर नगर के द्वारा, जो जनसूचना अधिकारी / प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 नई दिल्ली को सम्बोधित हैं, उप महाप्रबन्धक / एण्डमीन (पी0आई0ओ) नई दिल्ली के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-845 Dated 13.08.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच0आर0 / टुण्डला की ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तरवार जानकारी निम्नलिखित है:–

क्रम सं0	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	दी गई जानकारी
1.	रूरा रेलवे क्रासिंग 94 बी के नजदीक रेलवे ट्रैक के नीचे स्थित पुलिया न0 314 व 315 का इस्तेमाल जल निकासी के लिये हो रहा है। इन दोनो पुलिया की चौड़ाई की अलग–अलग जानकारी प्रदान करें।	उक्त नाले का निर्माण TATA/ALDESA (JV) के द्वारा किया गया था, चूँकि SAI/TYPSA(JV), DFCCIL द्वारा Consultant Engineer नियुक्त है। अतः उक्त RTI के सम्बन्ध में, इस कार्यालय द्वारा SAI/TYPSA(JV) से प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब मांगा गया था। जिसके सम्बन्ध में, SAI/TYPSA(JV) द्वारा क्रम सं0 1 से 5 तक के प्रकरण के सम्बन्ध में भेजे गये उत्तर की छायाप्रति संलग्न है । (संलग्नक–1)
2.	रूरा रेलवे क्रासिंग 94बी से पुलिया नं0 315 तक डी0एफ0सी0सी0 द्वारा पक्की व कच्ची निर्मित कराई Drainage line की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी है।	
3.	क्या 2 मीटर चौड़ाई की Drainage line से नगर पंचायत रूरा का जिसकी आबादी 20000 है तथा क्षेत्रफल 26000000 वर्ग मी0 है, का क्या पूरा बरसात का पानी Drain हो जायेगा ?	

Office Of Dy. Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208005
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803032 E mail – dcchampia@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

4.	क्या डी0एफ0सी0सी0 द्वारा रूरा नगर पंचायत के जल निकासी व सफाई व्यवस्था किये जाने हेत पोक्लेऊ मंशीन जाने के लिए रेलवे ट्रैक के बगल में मार्ग बनाया गया हैं।	
5.	क्या डी0एफ0सी0सी0 द्वारा कच्चा/पक्का निर्मित कराने के बाद नगर पंचायत रूरा या जिलाधिकारी कानपुर देहात का हैण्डओवर किये जाने की जिम्मेदारी डी0एफ0सी0सी0 की है या नही ?	
6.	जिला ग्रीवांस फोम, कानपुर देहात के समक्ष रामजी गुप्ता द्वारा उठाये गये जल निकासी का प्रकरण फोरम द्वारा समाप्त नहीं किया गया है, क्या यह सत्य हैं?	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में श्री रामजी गुप्ता द्वारा ग्रीवास रिड्रेसल कमेटी कानपुर देहात की बैठक दिनांक 08.01.2020 में रूरा के नाले के मामले में उठाये गये बिन्दुओ का निस्तारण अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 05.02.2020 में किया जा चुका है। जिसकी कार्यवृत्त दिनांक 05.02.2020 की छायाप्रति संलग्न हैं। (संलग्नक–2) जिसमें स्पष्ट किया गया था कि डी0एफ0सी0सी0 द्वारा नाले का निर्माण करा दिया गया हैं। वर्तमान में निर्मित नाले के अन्दर खर–पतवार और सिल्ट इकट्ठा हैं, इस साफ करने का दायित्व नगर पंचायत का है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्तानुसार।

उप परियोजना प्रबन्धक (ईजी0)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/कानपुर।
18/08/2021

प्रतिलिपिः– उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0आर0/टुण्डला को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Office Of Dy. Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208005
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803032 E mail– dcchampia@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

संलग्नक-1

Email

DC Champia

Re: RTI-845, Regarding RTI application of Sh. Shyam Ji , Kanpur Dehat

From : vgupta5@systra.com
Sat, Aug 14, 2021 02:28 PM

Subject : Re: RTI-845, Regarding RTI application of Sh. Shyam Ji , Kanpur Dehat
2 attachments

To : DC Champia <dcchampia.dfcc@nic.in>, Suryansh Gupta <sgupta01@dfcc.co.in>

Cc : Sandesh Shrivastava <sshrivastava@dfcc.co.in>, Sandesh Srivastava <cgmtundla@dfcc.co.in>, arvinda-v@tataprojects.com, kmal@systra.com

Dear Sir

As discussed, please find below point wise details-

S.No. (As per RTI)	Description/Details
1	Width of MNB 314 - 3.0m
	Width of MNB 315 - 4.0m
2	Length of drain from LC-94B to MNB 315 - 1456m
	Width of drain - 2.0m
3	Drain section designed as per discharge
4	No access for Poclain machine due to non-availability of land.
5	Action to be taken as per instruction of concerned District Magistrate

Regards
Vineet Gupta

From: DC Champia <dcchampia.dfcc@nic.in>
Sent: Saturday, August 14, 2021 11:32 AM
To: MAL Khichchu <kmal@systra.com>; GUPTA Vineet <vgupta5@systra.com>
Cc: Sandesh Shrivastava <sshrivastava@dfcc.co.in>; Sandesh Srivastava <cgmtundla@dfcc.co.in>; arvinda-v <arvinda-v@tataprojects.com>
Subject: Re: RTI-845, Regarding RTI application of Sh. Shyam Ji , Kanpur Dehat

Dear Sir,

Please find here with attachment file on subject matter.

संलग्नक-2

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जिला ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, कानपुर देहात की बैठक दिनाँक–05.02.2020 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–कानपुर देहात	–	अध्यक्ष
2. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	–	सदस्य (अनुपस्थित)
3. सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर।	–	सदस्य (अनुपस्थित)
4. मो0 शफीक कुरैशी, एडवोकेट, तहसील–अकबरपुर, कानपुर देहात, सिविल सोसायटी	–	सदस्य
5. डी0सी0 चम्पिया, उप परियोजना प्रबंधक (सामाजिक) डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर	–	सदस्य / सचिव

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष रेल परियोजना हेतु जनपद–कानपुर देहात की अधिग्रहीत भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जिला ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, जनपद–कानपुर देहात की **द्वितीय बैठक दिनांक–05.02.2020 को सायं 16.00 बजे,** अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित समस्याओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

1. पिछली बैठक में हुए विचार–विमर्श तथा उस पर लिये गये निर्णयानुसार कृत कार्यवाही से समिति के सदस्य / सचिव द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र तेज सिंह, निवासी–ग्वालटोली, कानपुर नगर की शिकायत के सम्बंध में यह स्पष्ट किया गया कि गाटा सं0–40, ग्राम–कमालपुर, तहसील–डेरापुर, जनपद–कानपुर देहात की अर्जित भूमि पर निर्मित पुराने मन्दिर के बदले दूसरे स्थान पर मन्दिर का निर्माण हो चुका है। समिति को नवनिर्मित मन्दिर का फोटो दिखाया गया। फोटो के अवलोकन से समिति संतुष्ट हुयी। यह सुझाव दिया कि नवनिर्मित मन्दिर के ऊपर गुम्बद बना दिया जाये, जिससे स्पष्ट मन्दिर अवलोकित हो। समिति के सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि निर्माण ऐजेन्सी को नवनिर्मित मन्दिर पर गुम्बद बनाने का आदेश दे दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि उप जिलाधिकारी, डेरापुर द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर नवनिर्मित मन्दिर में मूर्ति रखने का निर्णय लिया जायेगा। शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र तेज सिंह बैठक में उपस्थित नही थे।
2. नगर पंचायत, रूरा, जनपद–कानपुर देहात ने डी0एफ0सी0सी0 द्वारा निर्मित नाली के सम्बंध में श्री रामजी गुप्ता, निवासी–नगर पंचायत, रूरा, कानपुर देहात द्वारा दिनांक–08.01.2020 की बैठक में

कतिपय बिन्दु उठाये गये थे, जिसके सम्बंध में समिति द्वारा पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। इस बैठक में स्थिति स्पष्ट की गयी कि डी0एफ0सी0सी0 द्वारा नाली का निर्माण करा दिया गया है। वर्तमान में निर्मित नाली के अन्दर खर-पतवार और सिल्ट इकट्ठा है इसे साफ करने का दायित्व नगर पंचायत का है। निर्मित नाली का फोटोग्राफ भी समिति को दिखाया गया, जिससे समिति को पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो गयी। ~~प्रकरण समाप्त माना गया।~~

3. श्री रमाकान्त शुक्ला, ग्राम-परजनी, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात दिनांक-05.02.2020 की बैठक में उपस्थित थे। समिति के समक्ष उन्होनें पूर्व में प्रेषित पत्रों को दिखाया और अपनी समस्याओं के सम्बंध में अवगत कराया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण की अद्यतन जांच करावकर मुझे पूर्ण स्थिति से एक सप्ताह में अवगत कराया जाये।

4. जिला ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की इस बैठक में ग्राम-कमालपुर, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात के प्रभावित दो भू-स्वामी श्री अनिरूद्ध सिंह पुत्र जगम्मन सिंह तथा श्री यदुवीर सिंह भी उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा समिति के समक्ष अपनी समस्याओं/शिकायतों को रखा गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. *श्री अनिरूद्ध सिंह ने यह अवगत कराया कि उनकी भूमि परियोजना में प्रभावित है, जिसका प्रतिकर इन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिकर का निर्धारण बहुत कम किया गया है। इनकी शिकायत के सम्बंध में डी0एफ0सी0सी0 के अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि श्री अनिरूद्ध सिंह पुत्र जगम्मन सिंह की भूमि सीधी खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत क्रय किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। इनकी भूमि व मकान गाटा सं0-39 में प्रभावित है, जिसका मूल्यांकन अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया है। श्री अनिरूद्ध सिंह तथा इनके भाई श्री यदुनाथ सिंह पुत्रगण जगम्मन सिंह द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के सम्बंध में अपनी सहमति डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को दे दी गयी है, किन्तु इनके द्वारा निर्धारित धनराशि प्राप्त नहीं किया जा रहा है। समिति द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि भू-स्वामी को कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्राप्त करने में सहमत नहीं है तो वे मा0 आयुक्त महोदय के समक्ष अपना अनुरोध कर सकते हैं। उनके आदेश के उपरांत ही निर्धारित प्रतिकर में नियमानुसार वृद्धि सम्भव हो सकती है।*
2. *श्री यदुवीर सिंह ने यह अवगत कराया कि उनका मकान गाटा सं0-40 में प्रभावित था, जिस पर निर्मित उनके मकान के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है, किन्तु भूमि का प्रतिकर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बंध में डी0एफ0सी0सी0 के अधिकारी*

द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम समाज की भूमि पर इनका मकान निर्मित था, जिसका प्रतिकर मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकित कराकर भुगतान किया जा चुका है तथा नियमानुसार सहायता राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। भूमि ग्राम समाज की होने के कारण इस भूमि का पुर्नग्रहण करके डी०एफ०सी०सी० द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गयी है। श्री युदवीर सिंह को इनके कब्जे की भूमि के बदले गाटा सं0–730क में भवन निर्माण हेतु भूमि तहसील द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिस पर वे कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसील से सम्पर्क कर सकते हैं। समिति ने श्री यदुवीर सिंह को तहसीलदार से इस सम्बंध में सम्पर्क करने हेतु परामर्श दिया गया है।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त हुई।

(डी०सी० चम्पिया) उप परियोजना प्रबन्धक, डीएफ०सी०सी०आई०एल, कानपुर (सदस्य / सचिव)	(मो0 शफीक कुरैशी) एडवोकेट, तहसील–अकबरपुर, सिविल सोसायटी, कानपुर देहात (सदस्य)	(पंकज वर्मा) अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात (अध्यक्ष)

<u>उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन), कानपुर देहात।
2. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य।
3. सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर।
4. मो0 शफीक कुरैशी, एडवोकेट, तहसील–अकबरपुर, कानपुर देहात, सिविल सोसायटी
5. श्री डी०सी० चम्पिया, उप परियोजना प्रबन्धक, डी०एफ०सी०सी०, कानपुर।